6 Chandigarh
16 Haryana
35 Punjab

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2656]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940
No. 2656]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का. आ. 3425(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2154(अ) के तहत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, मोहाली को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण पंजाब राज्य था;

और जबकि, सुश्री अंशुल बेरी, वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश, एस.ए.एस. नगर, मोहाली को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 4 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3235 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 सितम्बर, 2010 की उक्त अधिसूचना संख्या का. आ. 2154(अ) और 4 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. का. आ. 3235(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया

था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सीबीआई न्यायालय-I, एस.ए.एस. नगर, मोहाली को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए एतद्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे पंजाब राज्य पर होगा और श्री निरभो सिंह गिल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, न्यायालय-I एस.ए.एस. नगर, (मोहाली) को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-I)(वॉल्यूम 2)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

S.O. 3425(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2154(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Mohali, as the Special Court, having jurisdiction throughout the State of Punjab, for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for trial of Scheduled Offences;

And whereas, Ms. Anshul Berry, Senior Most Additional Sessions Judge, S.A.S. Nagar, Mohali, was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3235(E) dated the 4th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the said notifications number S.O. 2154(E) dated the 1st September, 2010 and S.O. 3235(E) dated the 4th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab & Haryana High Court, hereby notifies the CBI Court-I at S.A.S. Nagar, Mohali, as Special Court for trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency, having jurisdiction over the entire State of Punjab, and appoints Shri Nirbhow Singh Gill, Additional District & Sessions Judge, Special Judge, CBI Court-I, S.A.S. Nagar (Mohali), as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV (Part-I)(Vol.-2)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का. आ. 3426(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर , 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2155(अ) के तहत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, पंचकूला को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण हरियाणा राज्य था;

और जबकि, सुश्री नीरजा कुलवंत कल्सन, वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश, पंचकूला को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 12 फरवरी , 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 633(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 सितम्बर, 2010 की उक्त अधिसूचना संख्या का. आ. 2155(अ) और 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 633 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सीबीआई न्यायालय, पंचकूला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए एतद्द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे हरियाणा राज्य पर होगा और श्री जगदीप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय पंचकूला को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस- IV (पार्ट-I.-वॉल्यूम - 2)]

प्रवीण वशिष्ठ , संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

S.O. 3426(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2155(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula, as the Special Court, having jurisdiction throughout the State of Haryana, for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for trial of Scheduled Offences;

And whereas, Ms. Neerja Kulwant Kalson, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula, was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 633(E) dated the 12th February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the said notifications number S.O. 2155(E) dated the 1st September, 2010 and S.O. 633(E) dated the 12th February, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab & Haryana High Court, hereby notifies the CBI Court at Panchkula, as the Special Court for trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency, having jurisdiction over the entire State of Haryana, and appoints Shri Jagdeep Singh, Additional District & Sessions Judge, Special Judge, CBI Court, Panchkula, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009 IS IV (Part I)(Vol. 2)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का. आ. 3427(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2153(अ) के तहत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र था

और जबकि, श्री रंजीत कुमार जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-I, चंडीगढ़, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 9 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2056(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) एवं (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2153 (अ) तथा 9 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2056(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर चंडीगढ़ स्थित सीबीआई न्यायालय को अनुसूचित अपराधों के विचारण जिनकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा की जा रही है, के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है तथा इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र होगा तथा डॉ. गगन गीत कौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, सीबीआई न्यायालय, चंडीगढ़ को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-I) (वॉल्यूम-2)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

S.O. 3427(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2153(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh, as the Special Court, having jurisdiction throughout the Union territory of Chandigarh, for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Ranjit Kumar Jain, Additional Sessions Judge-I, Chandigarh, was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2056(E) dated the 9th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the said notifications number S.O. 2153(E) dated the 1st September, 2010 and S.O. 2056(E) dated the 9th June, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab & Haryana High Court, hereby notifies the CBI Court at Chandigarh, as the Special Court for trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency, having jurisdiction over the entire Union Territory of Chandigarh, and appoints Dr. Gagan Geet Kaur, Additional District & Sessions Judge, Special Judge, CBI Court, Chandigarh, as the Judge to preside over the said Special Court.

[No. 17011/50/2009-IS-IV (Part-I)(Vol.-2)]
PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.